न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-182RAAJodhpur2024-74RTA223 Manaram ors Vs Rajuram etc

01. मानाराम पुत्र श्री तुलछाराम
02. किशनाराम पुत्र श्री लक्ष्मणराम
दोनो जातियान् जाट, निवासीगण- ग्राम जाखण, तहसील बापिणी, जिला फलोदी।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. राजुराम पुत्र श्री पदमाराम, जाति जाट, निवासी- बापू नगर, पल्ली, तहसील लोहावट, जिला फलोदी।
2. रामूराम पुत्र गुमानाराम
3. नैनाराम पुत्र खेताराम
4. धापूदेवी पत्नी थानसिंह
5. धन्नाराम पुत्र थानसिंह
6. नारायणराम पुत्र थानसिंह
7. लुम्बाराम पुत्र थानसिंह
8. कैलाश पुत्र थानसिंह
9. जमना पुत्री थानसिंह
10. टीपू देवी पुत्री थानसिंह
11. चुकी पुत्री थानसिंह
12. अनु पुत्री थानसिंह
13. चुतराराम पुत्र रावतराम
14. गोकलराम पुत्र रावतराम
15. सुखाराम पुत्र रावतराम
16. मेघाराम पुत्र रावतराम
17. सुरताराम पुत्र मोतीराम
18. नैनुदेवी पत्नी मोतीराम
19. सुनिता पत्नी भरतराम
20. लक्षिता पुत्री भरतराम
21. झलक पुत्री भरतराम
22. सिद्धार्थ पुत्र भरतराम
    प्रत्यर्थी संख्या 21 व 22 नाबालिग जरिये कुदरती वलीया माता सुनिता पत्नी भरतराम
23. कमला देवी पत्नी लक्ष्मणराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सभी जातियान् जाट, निवासीगण- ग्राम जाखण, तहसील बापिणी, जिला फलोदी।
24.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बापिणी, जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 दिसंबर 202 सहायक कलक्टर लोहावट राजस्व मूल वाद संख्या 73/2021 राजुराम व अन्य बनाम धापु देवी इत्यादि

उपस्थित-
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 24
शेष रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

नि र्ण य

दिनांक : 20 नवंबर 2024

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर लोहावट द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 73/2021 अनवान राजुराम व अन्य बनाम धापु देवी इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 दिसंबर 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 30 मई 2024 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 1030 रकबा 17.03 बीघा ग्राम जाखण के संबंध में धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विभाजन का वाद प्रस्तुत किया

अपील प्राधिकारी

गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर 2021 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने का आदेश दिया गया। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 दिसंबर 2022 के जरिये वाद स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण के नोटिस सम्यक रूप से तामील नही करवाया गया था, जिस कारण अपीलार्थी विचारण न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रख नहीं सका। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित किया है जो अपास्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम किये बिना तथा साक्ष्य लिये बिना ही वाद का निस्तारण किया है जो वाद का निस्तारण विधि अनुसार व रेकर्ड अनुसार नही किये जाने के कारण वाद साक्ष्य खारिज योग्य है। अपीलार्थीगण व वादी के मध्य बंटवाड़ा को लेकर विवाद है तथा हिस्सों को लेकर भी विवाद है। इसलिए बंटवाड़ा का वाद चलने योग्य नहीं रह जाता है जो निर्णय अपास्त योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा तलब विभाजन प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार नहीं किया गया है तथा न ही पक्षकारों की उपस्थिति में तैयार किया गया है, इस तरह से नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है, जिस कारण निर्णय एवं अंतिम डिक्री अपास्त योग्य है। मामले में निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री तथा निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की जा चुकी है, इसलिए अपीलार्थीगण द्वारा दोनो डिक्रीयों की संयुक्त अपील प्रस्तुत की गई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये बिना उसके विरूद्ध एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने से अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की समय पर जानकारी नही हो सकी। हल्का पटवारी द्वारा राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन की बात कहने पर अपीलांट को दिनांक 21.05.2024 को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल हेतु आवेदन किये जाने पर अपीलांट को दिनांक 21.05.2024 को नकल प्राप्त होने पर, जिसे पढने पर आलौच्य निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी हुई। इससे पहले अपीलांट को आलौच्य निर्णय एवं डिक्री की जानकारी नहीं थी।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का माफ किया जाकर गुणावगुण पर अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 दिसंबर 2022 एवं 01.10.2021 को अपास्त फरमाया जावे एवं मामला अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया जाकर अपीलार्थी को जवाब एवं साक्ष्य का अवसर दिया जाकर विधि अनुसार वाद निस्तारण किये जाने के निर्देश फरमावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने के बावजूद भी वे विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी की गई तथा अपीलांट के जमाबंदी में दर्ज हिस्से में

राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर

...धिकारी

किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है। तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार तैयार किया गया है, जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलंब का प्रश्न है। विचारण न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया में विहित प्रावधानोनुसार अपीलांट पर सम्मन की सम्यक तामील करवाये बिना उसके विरूद्ध एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने से अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी समय पर नहीं होना स्वाभाविक है। लिहाजा मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01 अक्टूबर 2021 के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयात की जमाबंदी में पक्षकारान् के दर्ज हिस्से अनुसार निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है। अपीलांट द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि जमाबंदी में दर्ज उनके हिस्से में किस प्रकार की त्रुटि है। ऐसी स्थिति में निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01 अक्टूबर 2021 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 07.11.2022 के अवलोकन मुताबिक तहसीलदार बापिणी द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयारी के वक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना में अपीलांट्स को सूचित किये बिना तथा उनकी अनुपस्थिति में मौका फर्द तैयार किया जाना पाया जाता है तथा अपीलांट्स को वादग्रस्त आराजी में लम्बवत पट्टी के रूप में हिस्सा दिया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री विधि विरुद्ध पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर लोहावट द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 73/2021 अनवान राजुराम व अन्य बनाम धापु देवी इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01 अक्टूबर 2021 विधिसम्मत पाये जाने से यथावत रखे जाते तथा निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 28 दिसंबर 2022 स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि वह उभय पक्ष की उपस्थित में विभाजन प्रस्ताव तलब कर उस पर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिनुसार वाद का निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)

राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर